

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची - 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
 अंतिम तिथि-29.02.2016

विज्ञापन संख्या-02/2016

झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1466 (3) दिनांक 15.12.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य में दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में **Online** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

1. (i) पद का नाम- दन्त चिकित्सक

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation		B. Horizontal Reservation against total vacancy			
		No. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	72	2	1	1	1	0
ii	SC	16	0	0	0	0	0
iii	ST	44	2	0	1	0	0
iv	BC-I	13	0	0	0	0	0
v	BC-II	10	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		155	4	1	2	1	0

(नोट :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।)

2. वेतनमान - PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay - 5,400)

3. पद - स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

(i) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्सद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 डी0 एस0 डिग्री (BDS Degree)

(ii) दन्त चिकित्सक के रूप में भारतीय दन्त पर्सद अथवा राज्य दन्त पर्सद से निबधित। (Should be registered with DCI or State Dental Council)

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2015

(क) न्यूनतम उम्र सीमा - 23 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-2096, दिनांक-25.04.2011 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	शारीरिक रूप से अक्षम
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II	37 वर्ष	42 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II)	38 वर्ष	43 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) लिखित (बहुविकल्पीय) एवं मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा:-लिखित परीक्षा के दो पत्र होंगे। जिसमें परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective type multiple choice) होंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	<p>प्रथम पत्र –(लिखित) (A)+(B)+(C)</p> <p>(A) 1. Human Anatomy, Embryology, Histology. 2. Human Physiology & Biochemistry. 3. Dental Anatomy, Embryology and Oral Histology.</p> <p>(B) 1. General Pathology & Microbiology. 2. General and Dental Pharmacology and Therapeutics. 3. Dental Materials.</p> <p>(C) 1. Oral Pathology and Microbiology. 2. General Medicine. 3. General Surgery.</p>	100	2 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
2.	<p>द्वितीय पत्र (लिखित) :-</p> <p>(i) Conservative Denstistry and Endodontics (ii) Oral & Maxillofacial Surgery. (iii) Oral Medicine and Radiology. (iv) Orthodontics & Dental Orthopaedics. (v) Paediatric & Prevetitive Dentistry. (vi) Public Health Denstistry. (vii) Periododontology. (viii) Prosthodontics and Grown & Bridge & Implants.</p>	100	2 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
3.	मौखिक परीक्षा	50	—	—

(ग) न्यूनतम अहर्ताक :- लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अहर्ताक :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

नोट :- उम्मीदवारों की संख्या कुल अधियाचित पद से पांच गुणा या पांच गुणा से कम होने पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार अनुशंसा किया जाएगा।

8. (i) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्द्रधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेगें।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (iv) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12 वीं कक्षा अथवा इण्टरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

9. आरक्षण :-

- (क) **ऑनलाईन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजन/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के उद्देश्य से निर्गत पिछड़ी जाति (OBC)का प्रमाण पत्र भी अमान्य होगा एवं आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार Online आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।
- (घ) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग -I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग-II (BC-II)**के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक- 5682, दिनांक- 22.10.2008 एवं ज्ञापांक- 10007, दिनांक- 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II का विवरण **ऑनलाईन** आवेदन पत्र में प्रविष्ट करेंगे। अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के बेवसाईट -www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ङ) आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र I एवं प्रपत्र-II में जाति प्रमाण पत्र, जिसे आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा के समय प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मूल रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (च) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) एवं मुद्रित आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित

कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) सामान्य, पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-400 (चार सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-100/- (एक सौ) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. - 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpssc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) Online आवेदन भरते समय आवेदक का शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :-
 - (i) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्सद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 डी0 एस0 डिग्री (BDS Degree)
 - (ii) दन्त चिकित्सक के रूप में भारतीय दन्त पर्सद अथवा राज्य दन्त पर्सद से निबंधित। (Should be registered with DCI or State Dental Council)
 - (iii) उन्न संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (iv) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- (ड.) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (च) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (छ) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।
- (ज) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (झ) जन्म तिथि—आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

13. अंतिम तिथि:—

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 10.02.2016 से दिनांक— 29.02.2016 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक—29.02.2016 के बाद दिनांक—03.03.2016 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।